Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2016/Ext] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 12, 2016 (SRAVANA 21, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अगस्त, 2016

संख्या 4/14/2016–आर–II.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24क में, ''प्ररूप 1–ग'' के बाद,''और प्ररूप–1–घ'' शब्द, अंक चिह्न रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमो में, मुख्य 1–ग, के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप 1–घ''

(देखिए नियम 24क)

नगर निगम का नाम.................................... वार्ड संख्या ....के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप–1 ग सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र/भरे जाने वाली घोषणा।

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी ....आयु..........................वर्ष............... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) मैं...(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार हूँ/स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम नगर निगम का नाम, वार्ड संख्या........................में क्रम संख्या......................पर दर्ज है।

(3) मेरा सम्पर्क/टेलीफोन नम्बर.................................हैं/हैं और मेरा ई–मेल आई डी(यदि कोई हो)............................है।

(4) मैंने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अधीन यथा अधिकथित निम्नलिखित अयोग्यता प्राप्त नहीं की है:–

(i) मैं किसी ऐसे आपराधिक मामले जो दस वर्ष के कारावास से कम दण्डनीय नहीं है, में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ और मेरे विरुद्ध आरोप भी नहीं लगाए गए हैं।

(ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर किसी प्रकार के देय के किन्हीं बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। कथित उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

(iii) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ, सम्बन्धित विद्युत उपयोगिता में बेबाकी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(iv) मैंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैंने मिडल कक्षा पास की है।

(किसी महिला उम्मीदवार या किसी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवीं कक्षा पास की है।

(अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में)

सम्बद्ध संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सही साक्ष्यांकित प्रति संलग्न है।

(v) मेरे निवास–स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

यह .... दिन को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण: 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि को 10:00 बजे तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3 सभी कॉलम भरे जाने चाहिएं और कोई कॉलम खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है या तो "शून्य" या "लागू नहीं है" जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठय तथा साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 12th August, 2016

No.4/14/2016-RII.— In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 24A, after the word, signed and letter "and Form 1C" exists in the end, the word, figure sign and letter "and Form 1-D" shall be added.
3. In the said rules, after "Form-1C", the following form shall be inserted, namely:-

"FORM 1-D"

(see rule 24A)

Affidavit/Declaration to be filed by the candidate alongwith nomination paper and Form 1-C before the Returning Officer for election ________________________ (Name of Municipal Corporation)

Ward No.__________.

I...**son/daughter/wife ....

aged ....years, resident of....................................... (Mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

(1) I am a candidate set up by ....(**name of the political party)/**am contesting as an Independent candidate.

(**strike out whichever is not applicable)

(2) My name is enrolled in .... (Name of the Municipal Corporation at Serial No ....in Part No...... ....

(3) My contact telephone number(s) is/are ....and my e-mail ID (if any) is ....

(4) I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under Section 8 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 :-

(i) I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.

(ii) I have not failed to pay any arrear of any kind due to me to any Primary Aggriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No Dues Certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.

(iii) I have not failed to pay arrears of electricity bills. No Dues Certificate from the concerned Power Utility is enclosed.

(iii) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from recognized Institution/Board

Or

(iv) I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste)

Or

I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled Caste)

A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

(v) I have a functional toilet at the place of my residence.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at.......................... this the ....day of....................................

DEPONENT

Note : 1. Affidavit/Declaration should be filed latest by 10:00 A.M. on the date of scrutiny of nominations.

Note : 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.

Note : 3. All columns should be filled up and no columns to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned.

Note : 4. Affidavit/ Declaration should be either typed or written legibly and neatly.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

54546—C.S.—H.G.P.,Chd.